

मध्यप्रदेश शासन
गृह सामान्य विभाग

क्रमांक एफ-4-4/92/दो-ए३३

भोपाल, दिनांक 29/5/92.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।


विषय :-

कर्मचारियों को क्नी जाने वाली के अन्तर्गत गरम कोट का प्रदाय ।

===

गृह विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2198/सी आर/116/दो-ए३३, दिनांक 18 मई, 1964 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों को प्रदाय की जाने वाली वर्दी के अन्तर्गत गरम कोट का प्रदाय 3 1/2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष में किया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन 29/5/92
गृह सामान्य विभाग.

पृ० क्र० एफ-4-4/92/दो-ए३३

भोपाल, दिनांक 29/5/92.

प्रतिलिपि :- 1. पंजीयक, उच्च न्यायालय, जबलपुर,

2. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, इन्दौर,

3. राज्यपाल के सचिव, भोपाल,

4. सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल,

...2....

... 2 ...

5. अवर सचिव, §स्थापना§ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल,
 6. अवर सचिव, §अधीक्षक § मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल,
 7. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल,
 8. प्रान्ताध्यक्ष, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ भोपाल,
 9. प्रान्ताध्यक्ष, चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, भोपाल,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


 अवर सचिव, 29/5/92
 मध्य प्रदेश शासन

गृह § सामान्य § विभाग.